न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 36/2024
जीसीएमएस : 2024/319

01. मलकीतसिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
02. तारा सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
03. कालासिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
04. जरनैलसिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
05. बलदेवसिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन भट्टा कॉलोनी, 23 पी. एस. सी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। –:प्रार्थीगण

बनाम

1. जितेन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री कुलवन्त सिंह
2. तजेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री कुलवन्त सिंह
3. गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री कुलवन्त सिंह
4. मनप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री कुलवन्त सिंह

} जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन भट्टा कॉलोनी, 23 पी.एस.सी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 04.10.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री गुरप्रताप सिंह प्रार्थीगण अधि.।
2. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 1 ता 4।

––निर्णय–– दिनांक 30.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 34 में प.नं. 153/329 मु.नं. 90 के कि.नं. 1 ता 13, 19 ता 21 में कुल 3.163 है. नहरी व पं.नं. 154/330 मु.नं. 91 के कि.नं. 1 ता 5/1, 7/1 में कुल 1.138 है. नहरी कुल खाता योग 4.301 है. नहरी भूमि खातेदारी आवेदकगण व उनकी मृतक माता जसवन्त कौर के नाम से खातेदारी है। माता के देहान्त उपरांत उनके आवेदगण ही जायज वारिसान व उतराधिकारी होने से उन्हे विरास्तान हित व अधिकार प्राप्त होने से उपर्यक्त रकबा पर प्रत्येक आवेदक का 1/5–1/5 हिस्सा पर खातेदारी हक व अधिकार है व तदनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के नाम खाता संख्या 19 में प.नं. 154/329 मु.नं. 89 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल खाता योग 3.163 है. नहरी [illegible] भूमि आवेदकगण के मृतक पति/ पिता के नाम से दर्ज [illegible] अनावेदकगण मृतक कुलवन्तसिंह के जायज वारिसान व उतराधि[illegible] हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि से [illegible] की मांग की गई है यह भूमि आबादी करवाने से आवेदकगण की भूमि वाके चक 8 एन. पी. के पं.नं. 153/329 मु.नं. 90 से सटते [illegible]र–दिशा की भूमि तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

स्वीकृत चालू रास्ता है जिस चालू स्वीकृतशुद्धा रास्ता से होते हुये आवेदगण अपने उक्त मुरब्बा नं. 90 के कि.नं. 1 से अपनी भूमि में पहुंचते है और इसी चक की अपनी प.नं. 154/330 मुरब्बा नं. 91 में स्थित भूमि में प्रवेश कर कृषि कार्यों व बड़े कृषि यंत्रों व उपकरणों व बिड लगी ट्रेक्टर–ट्राली इत्यादि के आवाजाही के लिये अनावेदकगण की इसी चक 8 एन.पी. के पं.नं. 154/329 मुरब्बा नं. 89 के कि.नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोणा से घुमावदार 16.5 गुणा 16.5 वर्गफुट रास्ता अस्वीकृत चालू है जिसे आवेदकगण स्वीकृत करवाना चाहते है, उक्त प्रस्तावित रास्ता ही आवेदगण की दोनों मुरब्बों में स्थित भूमि को आपस में जोड़ता है उक्त अस्वीकृत चालू प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, सुगम, नजदीकी, सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने के आवेदकगण कानूनी अधिकार रखते है, मगर अनावेदकगण उक्त रास्ता को बंद करने पर उतारू होने से यह आवेदन पेश किया जा रहा है अतः आवेदन मय हल्फनामां पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर उनकी जोत में पहुच व सम्पर्क के प्रयोजनार्थ अनावेदकगण की धृति वाके चक 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 154/329 मुरब्बा नं. 89 के कि.नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोण से तादादी 16.5 गुणा 16.5 वर्गफुट घुमावदार चालू रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। आवेदकगण समूचित मुआवजा देने को तैयार है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को सूचना होने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर निर्धारित समय सीमा के बाद अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2132 दिनांक 22.11.2024 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के चक 8 एनपी के पं.नं. 153/329 मु.नं. 90 के कि.नं. 1 ता 13, 19 ता 21 में कुल 3.163 है. नहरी व पं.नं. 154/330 मु.नं. 91 के कि.नं. 1 ता 5/1, 7/1 में कुल 1.138 है. नहरी कुल खाता योग 4.301 है. नहरी भूमि जसवन्त कौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह व कालासिंह, जरनेलसिंह, तारासिंह, बलदेवसिंह, मलकीतसिंह पि. जोगेन्द्रसिंह जाति चमार साकिन देह संयुक्त खाता में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के नाम चक 8 एनपी खाता संख्या 19 में प.नं. 154/329 मु.नं. 89 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल खाता योग 3.163 है. नहरी भूमि कुलवन्तसिंह पुत्र सरदूलसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 8 एनपी पं.नं. 154/329 मु.नं. 89 के कि. नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोणा में 16.5 गुणा 16.5 वर्ग फुट रास्ता की मांग की है अतः प्रार्थीगण द्वारा कि.नं. 25 के पूर्वी [illegible] कोणा में 16.5 गुणा 16.5 वर्ग फुट रास्ता चाहा गया रास्ता [illegible] की [illegible] सुविधा मात्र के लिए है अन्य वैकल्पिक मार्ग चक 6 एनएसडी के मु. [illegible] 34 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में चल रहे ग्रा.म. रास्ता से [illegible] एनएसडी के मु.नं. 33 एवं चक 8 एनपी के मु.नं. [illegible] दोनों मुरब्बे अलग–अलग चक के है उक्त मुरब्बे के कि.नं. 5 के उत्तरी–पूर्वी कोना में 16.5 गुणा 16.5 वर्ग फुट में रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

किया है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी के साथ–साथ मु.नं. 89 के प्रतिवादी काश्तकार को भी रास्ता उपलब्ध हो जावेगा। अन्य वैकल्पिक मार्ग में प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्धा रास्ता से निकटतम दूरी पर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि मु.नं. 89 के कि.नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोणा पर 16.5 गुणा 16.5 वर्ग फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे, अन्य विकल्प से दूरी अधिक पड़ती हैं। अपने खेत में आने–जाने के लिए अन्य रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा भी रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता की अनुशषां की है वह उक्त प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नहीं है अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया चक 8 एनपी के मु.नं. 89 के कि.नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोणा पर 16.5 गुणा 16.5 वर्ग फुट रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिर्पोट के तथ्यों के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 8 एनपी पं.नं. 154/329 मु.नं. 89 के कि.नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोणा में 16.5 गुणा 16.5 वर्ग फुट घुमावदार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार रायसिंहनगर मुआवजे के तौर पर रास्ता में आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को दिलवाये।** ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर